न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 48/2010 प्रा0पत्र.14(4) आवंटन नियम 1970

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

सत्यनारायण पुत्र रामधन जाति बैरवा निवासी प्रेमपुरा तहसील दौसा जिला दौसा

..अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

उपस्थित–1. श्री चन्दर सिंह, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 28.6.2023

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 17.5.2000 को ग्राम प्रेमपुरा तहसील दौसा के आ0ख0नं0 436 रकबा 0.08 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी सत्यनारायण को किया गया था। अप्रार्थी द्वारा आवण्टन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया।

पैरोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति कैम्प भांकरी द्वारा अप्रार्थी सत्यनारायण पुत्र रामधन जाति बैरवा निवासी प्रेमपुरा को ग्राम प्रेमपुरा में दिनांक 17.5.2000 को खसरा नंबर 436 रकबा 0.08 है0 भूमि का आवंटन किया गया। भूमि आवंटन होने से आदिनांक तक गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। आवंटी द्वारा आवंटन तिथि से आज दिन तक आवंटित भूमि में किसी प्रकार की काश्त नहीं की है। आवंटी द्वारा आवंटन नियमों में निहित शर्तो के अनुरूप आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है। अतः आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। अतः आवंटी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी को बार–2 आवाज दिलवाने के उपरांत अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने पैरोकार सरकार की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति कैम्प भांकरी द्वारा दिनांक 17.5.2000 को अप्रार्थी सत्यनारायण पुत्र रामधन जाति बैरवा निवासी प्रेमपुरा को ग्राम प्रेमपुरा स्थित आ0ख0नं0 436 रकबा 0.08 है. भूमि आवंटित की गई थी। भूमि आज दिनांक तक गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2065 से 2068 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि बंजड पडी हुई है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। आवंटन की शर्तो की पालना नहीं करने से हम आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 17.5.2000 को अप्रार्थी सत्यनारायण को आवंटित की गई भूमि का आवंटन खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:58:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

....निरन्तर 2 पर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति कैंप भांकरी की बैठक दिनांक 17.5.2000 के द्वारा ग्राम प्रेमपुरा में अप्रार्थी सत्यनारायण पुत्र रामधन बैरवा के पक्ष में खसरा नंबर 436 में से 0.08है. का किया गया आवंटन निरस्त किया किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा को प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 28 जून, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:58:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा